

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- श्री कुलदीप सिंह शेखावत(आर.ए.एस.)  
आर0सी0एम0एस:-2024 / 24  
मुकदमा नम्बर:- 20 / 2024

दर्ज दिनांक:30.01.2024  
निर्णय दिनांक:

25/11/2025

हीरालाल आदि

बनाम

सादूराम आदि

वकील वादीगण: श्री पंकज जांगीड़, श्री दयाराम सैनी  
प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 26: एकपक्षिय कार्यवाही  
प्रतिवादी संख्या 27: राजकीय पेरोकार

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड, विभाजन

—:निर्णय:—

दिनांक:- 25/11/2025

वाद वादीगण दिनांक 12.02.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू0अ0/2025/8750 दिनांक 15.07.2025 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव पर श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज आपत्ति प्राप्त नहीं। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद को स्वीकार किया जाकर वादपत्र में अंतिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

—:आदेश:—

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.05.2025 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.05.2025 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

(कुलदीप सिंह शेखावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ

# अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

पीठासीन अधिकारी:- श्री कुलदीप सिंह शेखावत(आर.ए.एस.)

आर0सी0एम0एस:-2024/24

मुकदमा नम्बर:- 20/2024

दर्ज दिनांक:30.01.2024

निर्णय दिनांक: 25/11/2025

हीरालाल आदि

बनाम

सादूराम आदि

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड, विभाजन

दिनांक: 25/11/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय श्री कुलदीप सिंह शेखावत आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी नवलगढ ब हाजिरी पक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :-

वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.05.2025 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 13.05.2025 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शा में अमल दरामद किया जावे।

निज..-.....-..... मुबलिक -.....-..... दाबन.-.....-.....  
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....-.....फीसदी आज की तारीख से तारीख  
अदायगी तक -.....-..... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के  
आज तारीख 25/11/2025 को जारी की गई।

(कुलदीप सिंह शेखावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ